



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50060

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7869/2026

मुकेश तिवारी

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विजय कुमार राय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, तहसीलदार, गोरखपुर मंडल, तहसील देवरिया, जिला देवरिया को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत मामले संख्या 8923/2023, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या T202305200108923 (मुकेश तिवारी बनाम अरविंद) और मामले संख्या 8924/2023, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या T202305200108925 (मुकेश बनाम अरविंद) का निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निर्णय किया जाना चाहिए। नियम 34 के उप-नियम (7) में निम्नलिखित लिखा है:-

1. "(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर निर्विवाद उत्परिवर्तन मामले का और विवादित उत्परिवर्तन मामले का 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।"
5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि बीत चुकी है, फिर भी इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् तहसीलदार, गोरखपुर मंडल, तहसील देवरिया, जिला देवरिया को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मामले का निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।